न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

न्यायालय एफ.आर. दर्ज नं./CIS No.– 149/2023
एफ.आर. संख्या 06/2023, एफ.आई.आर. संख्या 19/2023 थाना–हथुनिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक: 02.07.2026 परिवादी देवा उपस्थित। परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश के द्वारा अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटिशन का निस्तारण किया जा रहा है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी देवा पुत्र भुवाना ने दिनांक 22.11.2022 को एक परिवाद इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि मौजा भणावदा प०ह असावता तहसील व जिला प्रतापगढ़ में नवीन खाता नं. 176 की आराजी नं. 487/247 रकबा 0.2500 हेक्टेयर व आराजी नं. 490/265 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.5500 हेक्टेयर मुझ प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नामांतरण संख्या 448 दिनांक 28/03/2019 से दर्ज है। पूर्व में प्रार्थी के पिता भुवाना पिता मोती के नाम से पुराने आराजी नं. 4, 5, 234, 250, 172/235 कुल रकबा 10 बीघा 8 विस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था, जिनके सेटलमेन्ट के बाद नए आराजी नंबर 148, 247, 265 रकबा क्रमशः 0.17, 0.75, 0.89 कुल रकबा 1.81 हेक्टेयर बने। उसके पिता जी के जायन्दा तीन पुत्र स्वयं प्रार्थी व उसके भाई अमृतराम व खेमा है। उसके पिता भुवाना के स्वर्गवास के पश्चात् उसके भाई खेमा ने जालसाजी कर षड्यंत्रपूर्वक तरीके से उसको भुवाना का एक मात्र प्रथम श्रेणी का वारिश बताकर सरकारी मशीनरी से मिलकर प्रार्थी व अमृतराम को बिना जानकारी दिये उक्त सम्पूर्ण आराजीयात नं. 148, 247, 265 रकबा क्रमशः 0.17, 0.75, 0.89 कुल रकबा 1.81 हेक्टेयर को विरासत से उसके अकेले के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया व उस पर पिता जी की मृत्यु के बाद कब्जा कर काश्त करने लगा व सम्पूर्ण आराजीयात पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घोटारसी में रहन रखकर ऋण ले लिया, जिसकी जानकारी उसे व उसके भाई अमृतराम को मिलने पर उन्होंने खेमा के खिलाफ न्यायालय में उक्त आराजीयात में से 1/3–1/3 हिस्सा, जो विरासतन बनता है, वो हक–हिस्सा लेने हेतु वाद पेश किया, जिसपर न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय कर उक्त आराजीयात का 1/3 हिस्से से बंटवारा कर उसमें से आराजी नं. 247 में से 0.25 हेक्टेयर आराजी व आराजी नं. 265 में से 0.30 हेक्टेयर आराजी इस प्रकार उक्त आराजीयात नंबर के बटा नंबर बनाकर आराजी नं. 487/247 रकबा 0.25, आराजी नं. 490/265 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5500 हेक्टेयर आराजीयात को स्वीकृत नामांकरण संख्या 448 दिनांक 28/03/2018 न्यायालय आदेश के तहत प्रार्थी देवा पुत्र भुवाना निवासी बजरंगगढ़ के नाम से दर्ज कर दी लेकिन खेमा द्वारा लिया गया ऋण का	

दाखला भी उसमें दर्ज कर दिया गया। उसके भाई खेमा का भी स्वर्गवास हो चुका है व उसके पुत्र अभियुक्त भंवर पिता स्वर्गीय खेमा को यह जानकारी होते हुये कि न्यायालय के आदेश से उक्त आराजीयात उसके नाम दर्ज हो गई है फिर भी वो उक्त उसके नाम खाते दर्ज आराजी नं. 487/247 रकबा 0.25, आराजी नं. 490/265 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल रकबा 0.5500 हेक्टेयर पर जबरन काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है व कब्जा नहीं छोड़ रहा है। अप्रार्थी भंवर पिता खेमा, प्रार्थी को कब्जा नहीं दे रहा है व उसके खाते की जमीन पर जाने पर उसको गालियां देता है व मारपीट करने पर उतारू है। दिनांक 13/10/2022 को सुबह में करीब 10 बजे प्रार्थी उसके खाते की आराजीयात पर गया तो वहां पर भंवर ने सोयाबीन की फसल बो रखी थी, जिसकी देखरेख भी वो ही कर रहा था, जिसको कब्जा देने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने उसे मां–बहन की गालीयां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी वृद्ध है, उसके कोई संतान व औरत नहीं होने होने से उसके भाई खेमा के पुत्र भंवर द्वारा उसकी जमीन हड़पने की नियत से उसे कब्जा नहीं दे रहा है, जिससे वह अपना जीवन–यापन भी नहीं कर पा रहा है। ...इत्यादि।

उक्त परिवाद को धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान एवं प्रकरण दर्ज करने हेतु पुलिस थाना हथुनिया को प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर थाना हथुनिया पर प्रकरण संख्या 19/2023 अन्तर्गत धारा 420, 120 बी, 447, 504, 506 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान पुलिस थाना हथुनिया द्वारा प्रकरण में एफ.आर. अदम वकुवा सिविल नेचर में प्रस्तुत की गई।

उक्त एफ.आर. से व्यथित होकर परिवादी ने यह प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की एवं प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में स्वयं को ए.ड. 1 देवा के रूप में परीक्षित करवाया।

बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने प्रोटेस्ट पिटिशन में तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में पुलिस ने प्रार्थी व गवाहान् के बयान उनके कहे अनुसार नहीं लिखे है तथा पुलिस द्वारा सही अनुसंधान नहीं करना बताते हुये अधिवक्ता परिवादी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता परिवादी के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में जो आधार प्रस्तुत किये हैं, उसमें यह अंकित किया गया है कि दौराने अनुसंधान पटवारी हल्का असावता से खाता नकल व नक्शा ट्रेस प्राप्त किया तो राजस्व रिकॉर्ड में पटवार हल्का असावता में स्थित आराजी खसरा नं. 487/247 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नं.

490/265 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.5500 हेक्टेयर आराजी वर्तमान में डिक्री बंटवारा से प्रार्थी देवा, अमृतराम व अप्रार्थी भंवरलाल व उसके भाई भागीरथ में तीन भागों में विभाजित हो तीनों के संयुक्त खाते में होना अंकित है। उक्त आराजी काफी समय से अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है। आगे अनुसंधान अधिकारी ने यह उल्लिखित किया कि अनुसंधान में यह पाया गया कि प्रार्थी देवा व अप्रार्थी भंवरलाल के मध्य पटवार हल्का असावता में स्थित आराजी खसरा नं. 487/247 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नं. 490/265 रकबा 0.30 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.5500 हेक्टेयर के पुराने बंटवारे का विवाद हो उक्त आराजी के विवाद के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ में एक सिविल वाद संख्या 51/2010 दर्ज होकर वाद विचाराधीन है। इस कारण मामला अदम वकु सिविल नेचर में पाया गया।

उपरोक्त आधारों के खण्डनस्वरूप परिवादी देवा ने अपने बयानों में सारतः यह बताया है कि उसकी भणावता में जमीन है, जिसके खाता संख्या 176 आराजी नं. 487/247 रकबा 0.25 है। दिनांक 13.10.2022 को सुबह 10 बजे जब वह अपने खेत पर गया तो वहाँ पर उसके भतीजे भंवर ने सोयाबीन की फसल बो रखी थी, जिस पर परिवादी ने उससे खेत वापस लौटाने का कहा तो अप्रार्थी ने उसे मॉ–बहन की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी और ऐसा कहते हुये पत्थर मारने लगा। प्रार्थी वृद्ध है, उसके पास खाने–कमाने के अलावा कोई जमीन नहीं है। उसने कोर्ट में दावा लगाया था, जिसमें कोर्ट ने जमीन उसके नाम पर करने का आदेश दिया था। भँवर द्वारा उसे कब्जा नहीं देने से वह दुखी परेशान है। वह खेत पर जाता है तो उसका भतीजा भंवर उसका मर्डर करने पर उतारू होता है।

सर्वप्रथम यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं अन्य साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के वंश सजरे में मूल पुरूष भुवाना थे, जिनके तीन संतानें प्रार्थी देवा, अमृतराम व खेमा थे। प्रार्थी ने खेमा की मृत्यु होना बताया तथा आगे वंश सजरे में खेमा के दो पुत्र अप्रार्थी भंवर व भागीरथ हुये। प्रार्थी का यह कथन है कि मूल पुरूष/प्रार्थी के पिता भुवाना पिता मोती के नाम से पुराने आराजी नं. 4, 5, 234, 250, 172/235 कुल रकबा 10 बीघा 8 विस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था, जिनके सेटलमेन्ट के बाद नए आराजी नंबर 148, 247, 265 रकबा क्रमशः 0.17, 0.75, 0.89 कुल रकबा 1.81 हेक्टेयर बने। उसके पिता भुवाना के स्वर्गवास के पश्चात् उसके भाई खेमा ने सम्पूर्ण आराजीयात को विरासत से अकेले के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया व उस पर पिता जी की मृत्यु के बाद कब्जा कर काश्त करने लगा व सम्पूर्ण आराजीयात पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घोटारसी में रहन रखकर ऋण ले लिया। इस प्रकार यह निर्विवादित है कि विवादित आराजीयात अप्रार्थी भंवरलाल के पिता खेमा के नाम

से आराजी नं. 148, 247, 265 रकबा क्रमशः 0.17, 0.75, 0.89 कुल रकबा 1.81 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिन पर अप्रार्थी भंवरलाल के पिता खेमा का ही कब्जा होकर उनके द्वारा काश्त की जा रही थी।

तत्पश्चात् पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि मूल पुरूष भुवाना के अन्य दो पुत्र प्रार्थी देवा व अमृतराम ने उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के यहाँ बंटवारे का दावा मु.नं. 56/2002 पेश किया, जो उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खारिज कर दिया, जिसकी अपील प्रार्थी देवा व अमृतराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहाँ पेश की, जिसके अपील नं. 21/2010 है, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.10.2015 पारित करते हुये उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2010 अपास्त कर ग्राम भणावदा तहसील प्रतापगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 147, 247, 265 कुल किता 3 रकबा 1.81 हेक्टेयर का प्रार्थी देवा, अमृतराम तथा खेमा (वारिस भंवर व भागीरथ) प्रत्येक का 1/3 हिस्सा घोषित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी देवा के नाम ग्राम भणावदा पटवार हल्का असावता की भूमि खाता संख्या नया 176, खाता संख्या पुराना 103 के खसरा संख्या 487/247 रकबा 0.2500 हेक्टेयर व खसरा संख्या 490/265 रकबा 0.3000 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 0.5500 हेक्टेयर दर्ज हुई, जिससे प्रार्थी सहमत है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि अप्रार्थी भंवरलाल द्वारा बाद में अपील नं. 21/2010 में राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.10.2015 के विरूद्ध पुनः राजस्व अपील अधिकरी चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 24.10.2017 को राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.04.2015 को खारिज कर अपील पत्रावली पुनः नं. पर ली, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसके बाद अप्रार्थी भंवर व भागीरथ ने धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता का एक प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष नामान्तरण व जमाबंदी में बंटवारे के दर्ज रिकॉर्ड को हटाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया था, जो भी वर्तमान में विचाराधीन होना पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है। उक्त तथ्यों को स्वयं प्रार्थी देवा ने अपने परिवाद में छिपाया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रार्थी देवा व उसके भाई अमृतराम के विरूद्ध थाना हथुनिया के एफ.आई.आर. संख्या 39/2022 में धारा 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी देवा ने दिनांक 24.10.2017 को अप्रार्थीगण के पक्ष में हुये निर्णय को खारिज किये जाने की जानकारी के बावजूद मौजा भणावदा की विवादित आराजी खसरा नं. 148, 247, 265 में से कुछ हिस्सा नंदुबाई

पत्नी नाथुलाल व बालीबाई पत्नी कैलाश को बदनियति से अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से विक्रय किया।

ऐसे में न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अप्रार्थी भंवर द्वारा धारा 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया गया हो, इस संबंध में लेश मात्र भी साक्ष्य प्रथमदृष्ट्या उपलब्ध नहीं हैं

जहाँ तक प्रार्थी देवा का यह कथन है कि अप्रार्थी भंवर पिता खेमा, प्रार्थी को विवादित आराजी का कब्जा नहीं दे रहा है व उसके खाते की जमीन पर जाने पर उसको गालियां देता है व मारपीट करने पर उतारू है और दिनांक 13/10/2022 को सुबह करीब 10 बजे जब प्रार्थी उसके खाते की आराजीयात पर गया तो वहां पर भंवर ने सोयाबीन की फसल बो रखी थी, जिसकी देखरेख भी वो ही कर रहा था, जिसको कब्जा देने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने उसे मां–बहन की गालीयां दी व जान से मारने की धमकी दी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी भंवर का कब्जा है।धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में यह आवश्यक है कि जहाँ अपराध किया गया हो या जिस सम्पत्ति के संबंध में अपराध किया गया हो, वह प्रार्थी के कब्जे में हो। धारा 447 आई.पी.सी के तहत किया गया अपराध किसी व्यक्ति की कब्जेशुदा सम्पत्ति के आधिपत्य के विरूद्ध किया गया अपराध होता है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं उपर्युक्तानुसार प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी भंवर का कब्जा है, ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 447 भा.दं.सं. का अपराध भी बनना नहीं पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त जहाँ तक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने और उसके गाली–गलौच करने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी ने स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य गवाह को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है, जो प्रार्थी के कथनों का समर्थन करता हो। ऐसे में केवल मात्र प्रार्थी के कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी द्वारा लोकशांति भंग करने के आशय से प्रार्थी को साशय अपमानित किया हो और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी हो।

अतः प्रार्थी के द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान पर संदेह प्रकट होता हो एवं उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण हो तथा अप्रार्थी के द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है जिससे पुलिस थाना हथुनिया द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. के आधारों का खंडन हो सके। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ कोई घटना कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं होता है और प्रकरण के

समस्त तथ्य सिविल प्रकृति के होना जाहिर आया है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 420, 120 बी, 447, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अप्रार्थी भंवर पिता खेमा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 420, 120 बी, 447, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं होने से उसके विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान नहीं लिया जाता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पेटिशन को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पुलिस थाना हथुनिया द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. को अदम वकु सिविल नेचर में स्वीकार की जाती है। एफ.आर. पत्रावली थानाधिकारी, पुलिस थाना हथुनिया को लौटाई जाए। पत्रवाली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़

Digitally signed by ROHIT SHARMA
Date: 2026.07.04 15:08:10 +0530